कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क. /राजस्व/तीन/2026–27/1336 कोरबा, दिनांक 18.11.2026

ई निविदा क. 204244
निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत चिन्हांकित स्थल में एल.ई.डी. स्कीन बोर्ड विज्ञापन लगाने हेतु 03+02 वर्ष के आधार पर निविदा आमंत्रित की जाती है। विस्तृत शर्तें निगम कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर देखे जा सकते है।

क.	क्षेत्र एवं कार्य का नाम	अमानत राशि	निविदा शुल्क	लीज अवधि वर्ष	निविदा खोलने की अंतिम तिथि
1	अल्का काम्पलेक्स के छत पर एल.ई. डी. स्कीन बोर्ड विज्ञापन ।	1,00,000/-	750/-	03 वर्ष	15.12.2026

1. निविदा ई – निविदा के माध्यम से आमंत्रित की जा रही है। दरें ऑनलाईन के माध्यम से ही स्वीकार किया जावेगा।
2. निविदा प्राप्त करने के इच्छुक ठेकेदार को ऑनरशीप यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्यप्रतिलिपि आयकर प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, आधार नंबर, जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा।
3. निविदाए ई निविदा के माध्यम से ऑनलाईन देना होगा। उपरोक्त निविदा को कार्यालय के वेबसाइट korbamunicipal.in एवं E Tender web- https://eproc.cgstate.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। Envelope A- अमानत राशि के रूप में जमा बैकर्स चेक/बैक ड्राफ्ट/एफडीआर एवं **निविदा शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ही** ऑनलाईन अपलोड करना होगा। Envelope B- ठेकेदार का आनरशीप यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र, (पार्टनरशीप डीड) की सत्यप्रतिलिपि, विगत वर्ष 03 वर्षो का आयकर विवरणी की प्रतिलिपि, पेन नम्बर, आधार नम्बर, जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं निगम द्वारा जारी निविदा शर्तो को मान्य करते हुए उसकी एक प्रति जिसके प्रत्येक कंडिका में ठेकेदार के हस्ताक्षर सहित निविदा शर्तो को भर कर ऑनलाईन अपलोड करना होगा।
4. अमानत राशि एवं निविदा शुल्क की मूल प्रति दिनांक 15.12.2026 को 3:00 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्रर्ड डाक के माध्यम से जमा की जा सकती है।
5. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा ।
6. सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा ।
7. निविदा स्वीकृत /अस्वीकृत या पूर्ण रूप से अमान्य करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा को रहेगा ।
8. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा का रहेगा ।
9. निविदा की शर्त एवं बोर्ड लगाने की स्थान की जानकारी निगम कार्यालय में उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध किया जा सकता है।
10. अन्य जानकारी नगर पालिक निगम "साकेत भवन" कोरबा कार्यालय एवं (www.korbamunicipal.in) से प्राप्त की जा सकती है।
11. जोन में दर्शित एल.ई.डी. स्कीन बोर्ड की संख्या आवश्यकता एवं स्थल अनुसार कम अथवा ज्यादा करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

नोडल अधिकारी
नगर पालिक निगम कोरबा
(छत्तीसगढ़)

SYSTEM TENDER No 204244 (1st Call)

NIT No: Revenu/03/2026-27 Korba Dated 18.11.2026

Key Dates

Task	Date	Time
Bid Start Date	18.11.2026	12.00 Hrs
Bid Due Date	09.12.2026	17.30 Hrs
Physical Doc Submission End Date	15.12.2026	15.00 Hrs
Bid Open Date (Scheduled)	15.12.2026	16.00 Hrs

नोडल अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम कोरबा (छ.ग.)

एल.ई.डी.स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन नीलामी/निविदा की शर्तें :-

1. निगम क्षेत्रांतर्गत चिन्हांकित स्थलों में एल.ई.डी.स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन लगाने हेतु 03+02 वर्ष के आधार पर निविदा आमंत्रित की गई है। इस हेतु धरोहर राशि रू. 1,00,000/– जमा करना होगा। निगम क्षेत्रांतर्गत चिन्हांकित भवन पर एल.ई.डी.स्क्रीन बोर्ड विज्ञापर्न विज्ञापन **01** नग विज्ञापन प्रसारण करना निर्धारित है। जिसमें उच्चतम एवं द्वितीय निविदाकर्ता को छोड़कर शेष निविदाकर्ताओं की राशि वापसी योग्य होगी। उच्चतम निविदाकर्ता स्वयं के व्यय से एल.ई.डी. स्क्रीन बोर्ड विज्ञापर्न विज्ञापर्नस्थापित करेगा।

क्र.	चिन्हांकित स्थल का नाम	एल.ई.डी. स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन की संख्या
1	अल्का काम्पलेक्स के छत पर एल.ई.डी. स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन ।	01

3. एल.ई.डी.स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन निगम के शासकीय भवन दर 506.00 /– रूपये प्रति वर्गफुट (वार्षिक) आफसेट दर निर्धारित किया गया है। निर्धारित ऑफसेट दर से अधिक उच्चतम निविदा दर प्रति वर्गफुट वार्षिक को ही कार्य आबंटित होगा तथा उच्चतम दर **18%GST** पृथक से देय होगा। एल.ई.डी. की साईज के अनुसार वार्षिक किराया देय होगा। आवेदक के आवेदन पर यदि आवश्य हो तो एल.ई.डी. की साईज में कमी/वृद्धि की जा सकेगी। किसी भी प्रकार का परिवर्तन के पूर्व सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेना अनिर्वाय होगा। परिवर्तित एल.ई.डी. की साईज के आधार पर प्रति वर्गफुट दर पर किया का निर्धारण होगा। विज्ञापन एजेंसी द्वारा लगने वाले एल.ई.डी.स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन की अनुमति आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा की स्वीकृति के पश्चात ही दिया जा सकेगा।

4. निविदाए ई निविदा के माध्यम से ऑनलाईन देना होगा। उपरोक्त निविदा को कार्यालय के वेबसाइट **korbamunicipal.in** एवं **E Tender web- https://eproc.cgstate.gov.in** से प्राप्त किया जा सकता है। **Envelope A-** अमानत राशि के रूप में जमा बैकर्स चेक/बैक ड्राफ्ट/एफडीआर एवं निविदा शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ही ऑलाईन अपलोड करना होगा। **अमानत राशि एवं निविदा शुल्क की मूल प्रति स्पीड पोस्ट अथ्वा रजिस्टर्ड ए.डी. के माध्यम से ही निर्धारित शाखा में स्वीकार किये जाएंगे। Envelope B-** ठेकेदार का आनरशीप यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र, (पार्टनरशीप डीड)की सत्यप्रतिलिपि, विगत वर्ष 03 वर्षो का आयकर विवरणी की प्रतिलिपि, पेन नम्बर, आधार नम्बर, जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं निगम द्वारा जारी निविदा शर्तो को मान्य करते हुए उसकी एक प्रति जिसके प्रत्येक कंडिका में ठेकेदार के हस्ताक्षर सहित निविदा शर्तो को भर कर ऑनलाईन अपलोड करना होगा।

5. उच्चतम निविदाकर्ता को ही विज्ञापन का अधिकार प्रदान किया जावेगा।

6. एल.ई.डी.स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन साईज 300 वर्गफीट से कम नहीं होना चाहिए है। एल.ई.डी.स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन की सुरक्षा व स्थिरता के संबंध में नगर निगम के पंजीकृत सक्षम स्ट्रक्चरल इंजीनियर से एल.ई.डी. स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन की डिजाइन सुरक्षित होने का प्रमाण–पत्र तैयार कर

होर्डिंग्स अधीक्षक को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी तथा प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। एल.ई.डी.स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन के ऊपरी हिस्से में लाल लाइट लगाना होगा। एल.ई. डी. स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन की साईज कम या अधिक करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा को होगा।

स्पष्टीकरण :–संवेदनशील बिन्दु/स्थान/रीति जैसे मामलों में विवाद की स्थिति में आयुक्त का अभिमत अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

7. निगम हित/जनहित में निगम आयुक्त सभी शर्तो को अथवा किसी भी शर्त को शिथिल कर सकेगे।

8. अनुबंध दिनांक से एक नियत अवधि एल.ई.डी. स्क्रीन बोर्ड विज्ञापर्न विज्ञापर्नस्थापना हेतु 01 माह की अवधि दी जायेगी। तत्पश्चात किराया एवं विज्ञापन अनुज्ञप्ति शुल्क प्रभावशील होगा।

9. एल.ई.डी.स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन लगाने की अधिकार अवधि **03 वर्ष** के लिए होगी। जिसके लिए निर्धारित स्टाम्प पेपर पर वचन बद्ध निष्पादन कराना होगा। प्रतिवर्ष के बाद किराया राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि सहित वार्षिक शुल्क एकमुश्त जमा कर नवीनीकरण करने की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। अन्यथा की स्थिति में उनकी स्वीकृत निविदाएं स्वयमेव निरस्त समझी जावेंगी तथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेंगी।

10 प्रत्येक वर्ष की अवधि समाप्ति के एक माह पूर्व किराया राशि जमा करना होगा। निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिमाह 03 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जायेगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा न कराये जाने पर स्वीकृत निविदा निरस्त की जा सकेगी तथा अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

11. उच्चतम निविदाकर्ता एजेंसी को 10 प्रतिशत विज्ञापन आवश्यकता होने पर निगम के लिए आरक्षित रखना होगा।

12. एल.ई.डी.स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन लगाने की निविदा केवल चिन्हांकित स्थलों पर विज्ञापन करने हेतु निविदा की जा रही है। यदि निगम को जनहित/राजस्व वृद्धि/सेवा कारणों या शहर विकास का कारण हो तो नई स्थल चिन्हांकित कर पृथक से निविदा आमंत्रित करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा।

13. निविदाएं स्वीकृत करने का अंतिम अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा को होगा।

14. एल.ई.डी. स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन कार्य का परफारमेंस (प्रदर्शन) संतोषजनक होने पर आंबटन अवधि समाप्त होने के उपरांत अधिकतम 02 वर्ष के लिए समय अवधि विस्तार किया जा सकता है। विस्तार के लिए पात्रता की शर्ते निम्नानुसार है :–

क्र.	शर्ते	विवरण
1.	भुगतान	आंबटन शुल्क/नवीनीकरण शुल्क का 100% भुगतान समय पर हुआ हो। कोई बकाया न हो।
2.	परफारमेंस (प्रदर्शन)	03 वर्ष की अवधि में परफारमेंस (प्रदर्शन) संतोषजनक होना चाहिए।
3.	संरचना सुरक्षा	प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण के वक्त स्ट्रक्चरल सेफ्टी

		सर्टिफिकेट जमा किया हो और संरचना सुरक्षित पाई गई हो।
4.	नियम पालन	साईज, स्थान, सामग्री में कोई उल्लंघन न हुआ हो।
5.	प्रदर्शन रिपोर्ट	होर्डिंग्स शाखा प्रदर्शन रिपोर्ट में संतोषजनक या उससे उपर ग्रेड मिला हो।
आवेदन/अनुमोदिन की प्रकिया		
1.	आवेदन	आबंटन अवधि समाप्ति से 60 दिन पहले एजेंसी को लिखित आवेदन देना होगा
2.	जांच	होर्डिंग्स शाखा 30 दिन के भीतर स्थल निरीक्षण और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगा
3.	अनुमोदन	प्रदर्शन संतोषजनक पाए जाने पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि विस्तार स्वीकृत करने का अधिकार मेयर इन काउंसिल को होगा।

15. एल.ई.डी. स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन संचालन के संबंध में जनशिकायत प्राप्त होने पर एजेंसी को 07 दिन का नोटिस दी जावेगी। एजेंसी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक न होने पर आयुक्त/अधिकृत अधिकारी के समक्ष पक्ष रखने का एक 01 अवसर दिया जावेगा। प्राप्त शिकायत सही पाए जाने पर आंबटन स्वीकृति निरस्त कर 15 दिवस में स्वयं स्ट्रक्चर को हटाएगा या निगम द्वारा हटाने पर खर्च एजेंसी से वसूली की जावेगी।

स्पष्टीकरण :– निरस्तीकरण आदेश के 15 दिवस के भीतर एम.आई.सी./महापौर परिषद को अपील की जा सकेगी।

16. प्रदर्शित एल.ई.डी. स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन से व्यक्ति या सम्पत्ति की किसी प्रकार की दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा अथवा जनहानि होती है तो उसके लिए संबंधित एजेंसी स्वयं उत्तरदायी होगी। वचनबद्ध निष्पादन होने के 07 दिवस के भीतर किसी भी प्रकार के घटना/दुर्घटना की भरपाई के निमित्त पर्याप्त राशि का तृतीय पक्ष का बीमा अनिवार्य रूप से कराकर प्रस्तुत करना होगा। किसी भी प्रकार की घटना, दुर्घटना की सम्पूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी।

17. एल.ई.डी.स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन (मीडिया डिवाइस) के उपयोग में लाई गई सामग्री प्रदूषण रहित, अग्निरोधी होना चाहिए। किसी छत के स्तर से लटकते हुये मीडिया डिवाइस लगाना वर्जित है। मीडिया डिवाइस अप्रतिबिम्बित होना चाहिए ताकि मार्ग में चालक पर चमक या चौंध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। किसी प्रकरण से विधि विरूद्ध विज्ञापन प्रचार नहीं किये जावेगा। जैसे :– कामवासना, पशु क्रुरता, देशद्रोह, अश्लील, ऐसी मदों सेवाओं या वस्तुओं का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः रूप से विज्ञापन नहीं किया जावेगा।

18. एल.ई.डी.स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन हेतु आवश्यकता अनुसार विद्युत कनेक्शन लेने की स्थिति में एजेन्सी द्वारा स्वतः के व्यय पर विद्युत मण्डल (CSPDCL) से अनापत्ति प्राप्त करते हुए पृथक से मीटर लगवाना होगा जिसका मासिक बिल एजेन्सी द्वारा दिया जायेगा। ऐसे विद्युतिकृत एल.ई.डी. (मीडिया डिवाइस) बोर्ड विज्ञापर्न विज्ञापर्न पूर्णतः सुरक्षित ढ़ंग से एजेन्सी द्वारा लगाये जायेगे तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की दुघर्टना आदि होने पर समस्त जवाबदारी संबंधित एजेन्सी की

होगी। विज्ञापन एजेन्सी द्वारा मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रीशियन/हेल्पर एवं कुशल तथा अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति करना होगा।

19. शासन द्वारा या नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा समय–समय पर प्रतिबंधित किया गया अथवा अश्लील एवं आपत्तिजनक लेख से संबंधित एल.ई.डी.स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन पर प्रदर्शित नहीं किये जा सकेगे। नोटिस दिये जाने पर 48 घंटे के अन्दर हटाना/सुधार कराया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा जप्ति की कार्यवाही की जावेगी, निगम द्वारा हटाने पर होने वाला व्यय निविदाकर्ता से वसूली की जावेगी।

20. निगम द्वारा पूर्व में अनुबंधित एल.ई.डी. विज्ञापन एजेंसी से विवाद/आपत्ति होने पर निराकरण किया जावेगा। निराकरण नहीं होने की स्थिति में निगम आयुक्त का निर्णय अंतिम निर्णय होगा।

21. छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, रायपुर के अधिसूचना दिनांक 7.08.2012 क्रमांक 5–13/18/2011–छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 432–अ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा राज्य में नगर पालिक निगम के द्वारा विज्ञापन व्यवसाय/सेवा के विनियमन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 427 की उप –धारा (23) के अंतर्गत आदर्श उपविधि अनुसार नगर पालिक निगम, कोरबा में अंगीकृत की गई है।

22. उच्चतम निविदाकर्ता द्वारा छत्तीसगढ़ शासन नगर प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्र. 5–13/18/2011–छत्तीसगढ़ दिनांक 7.08.2012 के अधीन निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट–अ में वचन बद्ध निष्पादन के पश्चात् ही एल.ई.डी. स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन लगाया जावेगा।

23. एल.ई.डी.स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन लगाते समय चयनित स्थल का अवलोकन प्रभारी अधिकारी को कराना होगा तथा प्रभारी अधिकारी के स्वीकृति पश्चात ही एल.ई.डी. लगाया जावेगा।

24. एजेंसी द्वारा लगाये गये एल.ई.डी.स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन से यदि कोई आकस्मिक दुर्घटना होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।

25. निविदाकर्ता को शासन/नगर पालिक निगम कोरबा की विधि, उपविधियां और निर्णय तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

26. निविदाकर्ता को निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात एक माह के अन्दर लगाये गये एल.ई.डी. बोर्ड विज्ञापन को हटाना होगा। निविदाकर्ता के द्वारा विज्ञापन एल.ई.डी. स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन नहीं हटाये जाने पर नगर पालिक निगम कोरबा को अधिकार होगा कि विज्ञापन एल.ई.डी. को हटाकर जप्त कर सकेंगे एवं क्षतिपूर्ति राशि विज्ञापन ऐजेंसी को देना होगा।

27. निगम द्वारा निर्धारित संख्या एवं साईज के अनुरूप ही शुल्क एजेन्सी को देना होगा। यदि चाहे एजेन्सी द्वारा वास्तव में लगाये एल.ई.डी. की संख्या अथवा साईज कम हो या अधिक हो तो इनकी अनुमति आयुक्त से लेना होगा एवं इनका शुल्क अतिरिक्त देना होगा।

28. भुगतान संबंधी विवाद होने पर निगम द्वारा दर्शायी गई वसूली योग्य राशि पहले संबंधित एजेंसी को जमा करना होगा तत्पश्चात ही उनके अभ्यावेदन पर विचार किया जा सकेगा।

29. ऐसी एजेंसिया जिन पर निगम की विज्ञापन संबंधी राशि बकाया हो उनकी निविदा स्वीकार नहीं की जा सकेगी।

30. निगम क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठानों के भूमि में बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र के एल.ई.डी.स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन स्थापित नहीं किया जावेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र निगम कार्यालय में जमा करना होगा। ऐसे लगे बोर्ड विज्ञापर्न विज्ञापर्नो को संबंधित संस्था के द्वारा अथवा निगम के द्वारा हटा दिया जावेंगा। जिसके लिए किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

31. एजेन्सी को केंन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों तथा नगर पालिक निगम के लागू व प्रचलित तथा समय–समय पर लागू किए जाने वाले नियमों, अधिनियमों, आदेश, निर्णय, संकल्पों का पालन करना होगा तथा भविष्य में लागू/अधिरोपित किए जाने वाले शुल्क, सरचार्ज इत्यादि का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा।

32. एल.ई.डी.स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन की शर्तो में समय–समय पर परिवर्तन करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा को रहेगा।

33. एल.ई.डी.स्क्रीन बोर्ड विज्ञापन की संख्या कम या ज्यादा करने अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा को होगा।

34. किसी भी न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायाधिकार क्षेत्र कोरबा के अधीन होगी।

35. ऐसा कोई भी व्यक्ति/संस्था/फर्म/कंपनी/एजेंसी, जिसके द्वारा किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण के समक्ष नगर पालिक निगम कोरबा को किसी भी प्रकरण में पक्षकार बनाया गया हो/प्रकरण चल रहा हो इस टेंडर में भाग नहीं ले सकेगी।

नोडल अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)